तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज अश्विनी अरोड़ा बनाम लो.सू.अ.(जिला रसद अधिकारी प्रथम जोधपुर) सू.अ.अ. अपील संख्या 156/2017	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01.11.17	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अश्विनी अरोड़ा पता प्लॉट नं. 157, न्यू कॉलानी, बी.जे.एस. जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 08.06.17 में उसके द्वारा (1) बिन्दु सं. 1 से 18 एवं समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों के संबंध में की गई कार्यवाही , से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) को प्रेषित किया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र जिला रसद अधिकारी प्रथम जोधपुर को जरिये पत्रांक 844 दिनांक 15.06.17 स्थानान्तरित किया गया, परन्तु जिला रसद अधिकारी प्रथम जोधपुर द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (जिला रसद अधिकारी प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (जिला रसद अधिकारी प्रथम जोधपुर) से आदिनांक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (जिला रसद अधिकारी प्रथम जोधपुर) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी को 15 दिवस में सूचना उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। ओदश सुनाया गया।	